

न्यायालय:- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, किशनगंज ।	
उपस्थित:- सुरेश कुमार सिंह – II	
निर्णय की तिथि:- 05.06.2026	
सत्र वाद संख्या- 358 / 2025	
C.I.S No.- 358/2025	
प्रथम ईतला रिपोर्ट संख्या- 64 / 2025 थाना- पौआखाली, जिला- किशनगंज ।	
सूचिका – Xyz, पिता- Abc, साकिन- बॉसवाड़ी, थाना- पौआखाली, जिला- किशनगंज ।अभियोजन ।	
द्वारा प्रस्तुति- श्री सोरेन प्रसाद साह (विद्वान अपर लोक अभियोजक)	
अभियुक्त:-	1. अकरम आलम ।
द्वारा प्रस्तुति-	विद्वान अधिवक्ता:- श्री दीपक कुमार सहनी ।

अपराध की तारीख:-	16.08.2025
प्रथम ईतला रिपोर्ट की तिथि:-	21.08.2025
आरोप पत्र समर्पित की तिथि:-	30.09.2025
आरोप गठन की तिथि:-	12.12.2025
धारा-313 द0प्र0स0 बयान की तिथि:-	26.05.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि:-	26.05.2026
निर्णय की तिथि:-	05.06.2026
दण्डादेश की तिथि:-	

Accused Details:-

Rank of the Accused	A-1
अभियुक्त का नाम एवं पता:-	1. अकरम आलम, पिता- हसीब उर्फ हब्बू, साकिन- बॉसबाड़ी, थाना- पौआखाली, जिला- किशनगंज ।
आत्मसमर्पण / गिरफ्तारी की तिथि:-	25.09.2025
जमानत पर मुक्त करने की तिथि:-	N/A
चार्ज:-	U/S- 69 of BNS.
दोषमुक्त या दोषसिद्ध:-	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेश:-	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षी की सूची:-

(क) अभियोजन साक्षी:-

Rank	Name	साक्ष्य की प्रकृति:- चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।
P.W- 1	मो० फैयाज	अन्य साक्षी
P.W- 2	इमामुद्दीन	अन्य साक्षी
P.W- 3	कौशरी बेगम	अन्य साक्षी
P.W- 4	मो० मैनुद्दीन	अन्य साक्षी
P.W- 5	XYZ (Victim)	सूचिका सह पीड़िता साक्षी।

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई हो:-

Rank	Name	साक्ष्य की प्रकृति:- चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई हो:-

Rank	Name	साक्ष्य की प्रकृति:- चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।
N.A	N.A	N.A

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूची:-

क्र० सं०	प्रदर्श संख्या:	विवरण
01	प्रदर्श- P-1/PW-5	टंकित आवेदन पर साक्षी का हस्ताक्षर।

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूची:-

क्र० सं०	प्रदर्श संख्या:	विवरण
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूची:-

क्र० सं०	प्रदर्श संख्या:	विवरण
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूची:-

क्र० सं०	प्रदर्श संख्या:	विवरण
N.A	N.A	N.A

निर्णय

- उपरोक्त काराधीन अभियुक्त अकरम आलम के विरुद्ध धारा 69 बी.एन.एस. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया है जिसे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग किए।
- सूचिका द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि अभियुक्त सूचिका से दो साल से फोन पर बात किया करता था और एक साल से शादी का झासा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया। दिनांक 16.08.2025 को समय करीब 9.30 बजे सुवह में अभियुक्त अकरम आलम के परिवार के लोगों के पास गई तो अन्य अभियुक्तगण उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर उसका कपड़ा लत्ता फाड़ दिया और घक्का मारकर निकाल दिया। अभियुक्तगण घमकी दिया कि अगर दोबारा यहाँ आयी तो जान से मार देंगे और अपने लड़के अकरम आलम को भगा दिया। उसके पश्चात् सूचिका द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के आधार पर पौआखाली थाना कांड संख्या 64/2025 दर्ज हुआ।
- अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोंपरात प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त अकरम आलम के विरुद्ध धारा 69 बी.एन.एस. के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 82/2025 दिनांक 30.09.2025 को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय में समर्पित किया गया। समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लिया गया।
- दौरा सुपुर्दगी पश्चात् सत्र न्यायालय में सत्र वाद दर्ज हुआ तथा वाद को विचारण हेतु इस न्यायालय मे स्थानान्तरित किया गया। दिनांक 12.12.2025 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त अकरम आलम के विरुद्ध धारा 69 बी.एन.एस. में आरोप का गठन कर गठित आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे वे इंकार किये एवं विचारण की मांग किये।
- अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में 05 साक्षियों को प्रस्तुत किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 मो० फैयाज, अभियोजन साक्षी संख्या 02 इमामुद्दीन, अभियोजन साक्षी संख्या 03 कौशरी बेगम, अभियोजन साक्षी संख्या 04 मो० मैनुद्दीन एवं अभियोजन साक्षी संख्या 05 xyz (सूचिका सह पीड़िता) हैं।
- अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में टंकित आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श- P-1/PW-5 अंकित किया गया है।
- अभियोजन साक्ष्य बंद कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2026 को अभियुक्त का बयान द०प्र०स० की धारा-313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाए गए अभियोगों से इन्कार किया तथा अपने को निर्दोष बताया।
- बचाव पक्ष के तरफ से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अब विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मन्तव्य

10. इस मामले में अभियोजन ने कुल 05 साक्षियों का साक्ष्य कराया है। सर्वप्रथम मामले की सूचिका सह पीड़िता के साक्ष्य का विवेचना करना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 05 Xyz (सूचिका सह पीड़िता) हैं इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना आज से 9-10 महीना पहले के समय सुबह का है। अभियुक्त का बकरी इनके खेत में चर रहा था जिसको लेकर बाताबाती हो गया था। इसी बात को लेकर इन्होंने केस कर दिया। साक्ष्य के दौरान इस साक्षी ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण में इन्होंने कहा है इनके साथ किसी ने दुर्व्यवहार नहीं किया है। अभियुक्त इनके ग्रामीण हैं, इसलिए पहचान किये हैं। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 01 मो0 फैयाज है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कहा है कि इन्होंने अपना बयान पुलिस को दिया था। घटना के बारे में इनको जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 02 इमामुद्दीन है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में इनको जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 03 कौशरी बेगम है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कहा है कि इनके मर्कू के खेत में अकरम का बकरी चर रही थी जिसे पकड़ा था। घटना के बारे में इनको जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 04 मो0 मैनुद्दीन है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में इनको जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में सूचिका सह पीड़िता एवं अन्य साक्षियों ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त निर्दोष है उसे दोषमुक्त किया जाए।

16. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या 01 मो0 फैयाज, अभियोजन साक्षी संख्या 02 इमामुद्दीन, अभियोजन साक्षी संख्या 03 कौशरी बेगम, अभियोजन साक्षी संख्या 04 मो0 मैनुद्दीन एवं अभियोजन साक्षी संख्या 05 सूचिका सह पीड़िता है। इन पाँचों साक्षियों ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से अभियोजन द्वारा इन पाँचों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जिस मामले में सूचिका सह पीड़िता एवं अन्य साक्षियों ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है तब इस केस में अन्य साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सका है।

17. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन काराधीन अभियुक्त अकरम आलम के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 69 बी.एन.एस. को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः

आदेश

काराधीन अभियुक्त अकरम आलम के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 69 बी.एन.एस. से साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त अकरम आलम कारा अभिरक्षा मे निरुद्ध है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उसके मुक्ति हेतु मुक्ति आदेश निर्गत करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0 / -

ह0 / -

(सुरेश कुमार सिंह- II)

(सुरेश कुमार सिंह- II)
जिला एवंअपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम
-सह- विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांक:- 05.06.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
-सह- विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांक:- 05.06.2026

Date of Judgment/Order	05-06-2026
Date of reserving judgment/order	26-05-2026
Uploading Date	09-06-2026
Uploaded by	Deposition Writer